न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– श्री कार्तिकेय मीणा, **R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: 181/2022 दायर दिनाँक **27.05.2022**

वादी		प्रतिवादीगण
1. सीताराम पुत्र रामपाल जाति बावरी निवासी बिंचावा, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	बनाम्	1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार डीडवाना 2. अमरचन्द पुत्र रामपाल 3. नन्दू पत्नि रामपाल 4. पप्पूराम पुत्र रामपाल समस्त जाति बावरी निवासीगण बिंचावा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा– 88 **R.T.Act.**

उपस्थित:–

1. श्री हरफुल राव वकील वादी।
2. श्री समदर सिंह वकील प्रतिवादी सं0 2 ता 4 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **30.09.2022**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादी बिंचावा का स्थायी निवासी है जो कृषि कार्य करके अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता है। वादी के संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा सं0 922/509 रकबा 0.4100 हैक्टे0 वाकै सरहद बिंचावा, पटवार हल्का बिंचावा में अवस्थित है।

यह है कि वादी का खेत खसरा सं0 922/509 राजस्व नक्शे में आयताकार था तथा वादी के खेत की पश्चिमी सींव खसरा सं0 507 की पश्चिमी सींव की सीध में वादी के खसरा सं0 922/509 की पश्चिमी सींव को दक्षिणी सींव तक सीधी सींव थी। वादी का खेत खसरा सं0 922/509 नजरी नक्शा में मार्क ए बी सी डी से दर्शित है जो सही है तथा मौके पर उसी अनुरूप अवस्थित है।

यह है कि अभी वर्तमान में राजस्व रेकॉर्ड को ऑनलाईन करते वक्त वादी के खेत खसरा सं0 922/509 की पश्चिमी सींव को पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ाते हुए गलत दर्ज कर दी तथा सींव में परिवर्तन कर दिया। जिससे वादी के जायज अधिकार [illegible] भविष्य में कई समस्याओं का सामना करने की आशंका है। इसलिए वादी को दावा बाबत रेकर्ड दुरूस्ती का करना लाजमी आया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:40:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना वादी इस प्रकार है:—

यह है कि वादी के खेत की पश्चिमी सींव, खसरा नम्बर 507 की पश्चिमी सींव की सीध में वादी के खसरा सं0 922/509 की पश्चिमी सींव को दक्षिणी सींव तक नजरी नक्शा में दर्शित मार्क ए बी सी डी के अनुरूप पर दर्ज कर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करने की कृपा करावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार डीडवाना के क्रमांक/रीडर/2022/1853 दिनांक 20.09.2022 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे सामिल मिसल किया गया। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट में दर्शित मौका रिपोर्ट के अनुसार वादी का खसरा नम्बर 922/509 की गलत अंकित पश्चिमी सींव को मौका व वाद अनुसार सही कर खसरा नम्बर 507 की पश्चिमी सींव के सीध में वर्तमान नक्शा में दुरूस्त किया जाना उचित है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः, बाद विवेचन, वाद वादीनी डिक्री सादिर किया जाता है।

—:आदेश :—

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद बिंचावा में वादी के खेत की पश्चिमी सींव, खसरा नम्बर 507 की पश्चिमी सींव की सीध में वादी के खसरा सं0 922/509 की पश्चिमी सींव को दक्षिणी सींव तक नजरी नक्शा में दर्शित मार्क ए बी सी डी के अनुरूप दर्ज कर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जाता है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 30.09.2022 को सरे इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:40:10 IST
Reason: SelfAttested

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 181/2022 दायर दिनाँक 27.05.2022

वादी		प्रतिवादीगण
1. सीताराम पुत्र रामपाल जाति बावरी निवासी बिंचावा, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	बनाम्	1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार डीडवाना 2. अमरचन्द पुत्र रामपाल 3. नन्दू पत्नि रामपाल 4. पप्पूराम पुत्र रामपाल समस्त जाति बावरी निवासीगण बिंचावा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा— 88 R.T.Act.

दिनाँक 30.09.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हरफुल राव वकील वादी व श्री समदर सिंह वकील प्रतिवादी सं0 2 ता 4 की ओर से की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद बिंचावा में वादी के खेत की पश्चिमी सींव, खसरा नम्बर 507 की पश्चिमी सींव की सीध में वादी के खसरा सं0 922/509 की पश्चिमी सींव को दक्षिणी सींव तक नजरी नक्शा में दर्शित मार्क ए बी सी डी के अनुरूप दर्ज कर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जाता है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........—.......... मुबलिंग............—............... बाबत.....................—...................

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........—......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख 30.09.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	—		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	—		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो [illegible] चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:40:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner